## प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

हर खेत को जल पहुंचाने तथा सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाने, कृषि के लिए जल उपयोग दक्षता में सुधार करने, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को प्रस्तुात करने आदि के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) आरंभ किया गया । पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत बड़ी और मध्यम सिंचाई/बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को वित्त पोषित कर रहा है और पीएमकेएसवाई- हर खेत को जल (एचकेकेपी) पहुंचाने की योजना के अंतर्गत जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) तथा कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में एक समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) के निर्माण की घोषणा की। भारत सरकार के बजटीय संसाधनों, नाबार्ड द्वारा उठाए जाने वाले बाजार उधार आदि के माध्यम से योगदान दिया जाना है। बदले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (ज.सं.,न.वि. व गं.सं.मं.) (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने तथा निधियन व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिये एक मिशन की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलटीआईएफ का उपयोग केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उनके कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यों सहित पहचान की गई सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

### त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

केंद्र सरकार ने ऐसी परियोजनाओं जो अंतिम चरण में थी, के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से देश में प्रमुख / मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता (सीए) उपलब्ध्

कराने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया। पीएमकेएसवाई के शुभारंभ के बाद, एआईबीपी पीएमकेएसवाई का हिस्सा बन गया।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत कार्यान्वयन के लिए 99 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। परियोजनाओं की भौतिक और साथ ही वित्तीय शर्तों में प्रगति की निगरानी, सीडब्ल्यूसी की क्षेत्रीय इकाइयों और इस उद्देश्य के लिए विकसित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में नियमित रूप से प्राथमिकता वाली 99 परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से की जाती है।

भारत सरकार ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर अभिज्ञात सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सीए के रूप में वित्तीयन जारी करने के लिए राज्य सरकारों को निधियन जारी करने के लिए एलटीआईएफ से प्राप्त संसाधनों के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए राजविअ को अभिज्ञात किया है। तदनुसार, दिनांक 06.09.2016 को एक समझौता अनुबंध (एमओए) किया गया। सचिव ज.सं.,न.वि. व गं.सं.मं., भारत सरकार (प्रथम पक्ष के रूप में), राजविअ (द्वितीय पक्ष के रूप में) तथा नाबार्ड (तीसरे पक्ष के रूप में) के बीच एक समझौता अनुबंध किया गया था।

### पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत नाबार्ड से प्राप्त ऋणों का प्रबंधन

नाबार्ड से प्राप्त ऋणों के प्रबंधन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

- नाबार्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राज्यों को सीए जारी करना।
- परियोजना निगरानी इकाई के माध्यम से प्रस्तावों का प्रसंस्करण।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऋण योजना के भुगतान की तैयारी।
- परियोजना निगरानी इकाई के माध्यम से तीसरे पक्ष की निगरानी का दौरा।
- परियोजना निगरानी इकाई के माध्यम से एमआईएस प्रणाली में अद्यतनीकरण

### परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना

राजविअ ने अक्टूबर 2017 में परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए मैसर्स वैपकोस लिमिटेड के साथ एक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तथा मैसर्स वैपकोस लिमिटेड ने पीएमयू की स्थापना की है। मुख्य अभियंता (मुख्यालय) की अध्यक्षता में पीएमयू असाइनमेंट की प्रगति की निगरानी के लिए राजविअ के पत्र दिनांक 03.05.2018 के माध्यम से एक परामर्श निगरानी समिति (सीएमसी) का भी गठन किया गया था।

जल शक्ति मंत्रालय, नाबार्ड तथा मैसर्स वाप्कोस के साथ समन्वय स्थापित करने और जब किसी राज्यं को केन्द्रीय सहायता देय हो उसे जारी करने के लिए राजविअ के अधीन एक पीएमयू की स्थापना की गई है।

nwda.gov.in

| 30.06.2025 तक विभिन्न राज्यों को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत जारी निधियन (रूपये करोड़ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्रमांक** | **पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम** | **2022-23 तक जारी निधियन** | **2023-24 के दौरान जारी निधियन** | **30.06.2025 तक जारी कुल निधियन** |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 91.8100 | 0.00 | 91.8100 |
| 2. | असम | 7.5500 | 0.00 | 7.5500 |
| 3. | बिहार | 146.0633 | 0.00 | 146.0633 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 62.7896 | 0.00 | 62.7896 |
| 5. | गोवा | 3.8400 | 0.00 | 3.8400 |
| 6. | गुजरात | 5635.4553 | 0.00 | 5635.4553 |
| 7. | जम्मू-कश्मीर | 46.2522 | 0.00 | 46.2522 |
| 8. | झारखंड | 756.7300 | 0.00 | 756.7300 |
| 9. | कर्नाटक | 1183.3170 | 0.00 | 1183.3170 |
| 10. | केरल | 2.6900 | 0.00 | 2.6900 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 811.1150 | 0.00 | 811.1150 |
| 12. | महाराष्ट्र | 1796.7866 | 0.00 | 1796.7866 |
| 13. | मणिपुर | 228.3540 | 0.00 | 228.3540 |
| 14. | ओडिशा | 1340.8247 | 0.00 | 1340.8247 |
| 15. | पंजाब | 277.9460 | 0.00 | 277.9460 |
| 16. | राजस्थान | 509.9450 | 0.00 | 509.9450 |
| 17. | तेलंगाना | 673.8640 | 0.00 | 673.8640 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 1553.9120 | 0.00 | 1553.9120 |
| | **टोटल अ** | **15129.2447** | **0.00** | **15129.2447** |
| **परियोजना का नाम** | | | | |
| 1. | पोलावरम परियोजना | 10650.1600 | 0.00 | 10650.1600 |
| 2. | उत्तरी कोइल परियोजना | 721.2200 | 0.00 | 721.2200 |
| | **टोटल ब** | **11371.3800** | 0.0000 | **11371.3800** |
| | **कुल टोटल (अ+ब)** | **26500.6247** | **0.0000** | **26500.6247** |

अधिक जानकारी के लिए...